

1.1 प्रस्तुत याचिकेअंतर्गत सादरीकरण

1. माननीय आयोगाने १ ऑगस्ट २०१९ रोजीचे एमईआरसी (बहुवार्षिक दरपत्रक विनियम) २०१९, (यानंतर "एमवायटी विनियम, २०१९" या नावाने संबोधित) आर्थिक वर्ष २०२०-२१ ते आर्थिक वर्ष २०२४-२५ या चौथ्या एमवायटी नियंत्रण कालावधीसाठी जारी केले होते.
2. माननीय आयोगाने २०२२ च्या प्रकरण क्रमांक २२५ मधील एमटीआर आदेशात स्वातंत्र्य दिले आहे की टाटा पॉवर-डी एमवायटी विनियम, २०१९ च्या विनियम ५ शी बांधील राहत ५व्या वर्षासाठी म्हणजेच आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी सुधारित याचिका दाखल करू शकते.
3. एमवायटी विनियम २०१९ च्या विनियम ५ नुसार प्रस्तुत याचिका टाटा पॉवर-डीकडून आर्थिक वर्ष २०२२-२३ साठी अचूक समायोजन, आर्थिक वर्ष २०२३-२४ साठी एआरआरचे तात्पुरते अचूक समायोजन व सुधारित एआरआरची मान्यता, विद्यमान दरपत्रक व शुल्कांमधून अपेक्षित महसूल, अपेक्षित महसूल तफावत/(अतिरिक्त) आणि एमवायटी विनियम, २०१९ नुसार आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी प्रस्तावित वर्गवारीनिहाय दरपत्रक या बाबींसाठी दाखल केली आहे.
4. प्रस्तुत याचिकेत, या माननीय आयोगाने दिनांक ३१ मार्च २०२३ रोजी २०२२ या प्रकरण क्रमांक २२५ मधील एमटीआर आदेशान्वये मंजूर केलेल्या निकषांच्या तुलनेत आर्थिक वर्ष २०२२-२३ ची प्रत्यक्ष कामगिरी सादर करण्यात आली. उपरोक्त माहिती प्रस्तुत याचिकेच्या विभाग १ मध्ये सादर करण्यात आली आहे. तसेच, आर्थिक वर्ष २०२३-२४ साठी या माननीय आयोगाने प्रकरण क्रमांक २०१९ चा ३२६ मध्ये ३० मार्च २०२० रोजी दिलेल्या आदेशान्वये मंजूर केलेल्या निकषांच्या तुलनेत कामगिरीचा आढावा विभाग ३ मध्ये घेण्यात आला आहे. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी एआआरचा अंदाज विभाग ४ मध्ये देण्यात आला आहे. मागील कालावधीतील वसुली आणि दरपत्रकामागील तार्किकता आणि प्रस्ताव यांच्यासंबंधी तपशीलवार सादरीकरण विभाग ५ मध्ये आहे. या माननीय आयोगाकडे केलेली विनंती विभाग ८ मध्ये आहे.
5. टाटा पॉवर-डीने दिनांक ३१ मार्च २०२३ रोजीच्या एमटीआर दरपत्रक आदेशासह आर्थिक वर्ष २०२२-२३ साठी तुलना दिली आहे, जेथे आर्थिक वर्ष २०२२-२३ पर्यंतचे अचूक समायोजन माननीय एपीटीईएलला २०२३ च्या अपील क्रमांक ३६९ मधील दिनांक ५ जानेवारी २०२४ रोजीच्या त्यांच्या आदेशामध्ये कळवण्यात आलेले नाही. तसेच, आर्थिक वर्ष २०२३-२४ साठी तुलना दिनांक ३० मार्च २०२० रोजीच्या एमवायटी दरपत्रक आदेशासह दाखवण्यात आली आहे, जेथे या आदेशानुसार सध्या वीजशुल्क आकारले जात आहे. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी, सध्याच्या दरपत्रक कार्यवाहीमध्ये या वर्षासाठी दरपत्रक निश्चित करणे बाकी असल्यामुळे तुलना दिनांक ३१ मार्च २०२३ रोजीच्या एमटीआर दरपत्रक आदेशामध्ये

दाखवण्यात आली आहे. सबमिट करण्यात आले आहे की कोणताही कायदा, नियम, नियमन किंवा प्रचलित आदेशांतर्गत उपलब्ध असलेल्या टाटा पॉवर-डीच्या अधिकारांचा पूर्वग्रह न ठेवता या तुलना फक्त सादरीकरणाच्या उद्देशाने करण्यात आल्या आहेत.

6. सादरीकरणाचा सारांश खाली सादर करण्यात आला आहे:

- आर्थिक वर्ष २०२२-२३ साठी अचूक समायोजन

7. या विभागात टाटा पॉवर-डीच्या वितरण वायर्स आणि रिटेल पुरवठा उद्योगाची आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मधील प्रत्यक्ष कामगिरीची चर्चा आणि सादरीकरण महाराष्ट्र वीज नियामक आयोग (बहुवार्षिक दरपत्रक) विनियम, २०१९ ('एमवाटी विनियम, २०१९'), प्रकरण क्रमांक २०२३ चा २२५ मध्ये ३१ मार्च २०२३ रोजीचे टाटा पॉवर-डीसाठीचे मध्यवर्ती पुनरावलोकन (एमटीआर) दरपत्रक आदेश आणि विविध आदेशांमध्ये आखून दिलेल्या तत्वांचा विचार करून करण्यात आले आहे.

1.1.1 ग्राहकांची संख्या

8. आर्थिक वर्ष २०२२-२३ साठी टाटा पॉवर-डीच्या ग्राहकांचे तपशील खालील तक्त्यात देण्यात आले आहेत. आर्थिक वर्ष २०२१-२२ साठीचा ग्राहक पाया देखील संदर्भासाठी दर्शवण्यात आला आहे.

तक्ता १-१: ३१ मार्च २०२३ रोजी (देयक दिलेल्या) ग्राहकांची संख्या

आकडेवारी

| विभाग | आर्थिक वर्ष २०२१-२२ | | | आर्थिक वर्ष २०२२-२३ | | | वाढ टक्केवारीमध्ये |
|-------------------|---------------------|------------------|--------|---------------------|------------------|--------|--------------------|
| | प्रत्यक्ष ग्राहक | चेंजओव्हर ग्राहक | एकूण | प्रत्यक्ष ग्राहक | चेंजओव्हर ग्राहक | एकूण | |
| ग्राहकांची संख्या | १७९३०३ | ५६२८०७ | ७४२०९८ | २०७०५७ | ५५४८८१ | ७६१९३८ | २.६७ टक्के |

9. उक्तनिर्देशित तक्त्यातून दिसून येते की टाटा पॉवर डीच्या ग्राहकांच्या (प्रत्यक्ष आणि चेंजओव्हर) एकूण संख्येत मागील वर्षाच्या तुलनेत २०२२-२३ या वर्षात एकूण २.६७ टक्के वाढ झाली.

1.1.2 वर्गवारीनिहाय विक्री

10. आर्थिक वर्ष २०२२-२३ साठी प्रत्यक्ष वर्गवारीनिहाय विक्री आणि एमवायटी आदेशानुसार आर्थिक वर्ष २०२२-२३ साठी मान्यताप्राप्त वीज विक्रीची तुलना खालील तक्त्यात दर्शवल्याप्रमाणे आहे:

तक्ता १-२: आर्थिक वर्ष २०२२-२३ साठी वर्गवारीनिहाय विक्री

एमयू

| ग्राहक विभाग | एमटीआर दर आदेशात मान्यताप्राप्त | | | आर्थिक वर्ष २०२२-२३ साठी वास्तविक | | |
|---|------------------------------------|-----------|--------|--------------------------------------|----------------|--------|
| | प्रत्यक्ष | चेंजओव्हर | एकूण | प्रत्यक्ष | चेंजओव्हर र | एकूण |
| | | | | | | एमयू |
| ईएचटी I: -उद्योग | ५५०.०० | | ५५०.०० | ७९६.८८ | | ७९६.८८ |
| एचटी I - उद्योग | ९४६.६९ | | ९४६.६९ | ९५८.८४ | | ९५८.८४ |
| ईएचटी II: - व्यावसायिक | ९५.०० | | ९५.०० | १०२.४२ | | १०२.४२ |
| एचटी II - व्यावसायिक | ३८७.७६ | ०.२३ | ३८७.९९ | ३६३.२४ | ०.२९ | ३६३.४५ |
| एचटी III: एचटी-समूह गृहनिर्माण संस्था | ३९.७५ | | ३९.७५ | ३८.८९ | | ३८.८९ |
| एचटी IV - रेल्वे मेट्रो व मोनोरेल | १०६.६७ | | १०६.६७ | १०९.८८ | | १०९.८८ |
| एचटी IV - रेल्वे (२२/३३ केव्ही) | ९०.३५ | | ९०.३५ | ८२.६७ | | ८२.६७ |
| ईएचटी IV - रेल्वे (मेट्रो/मोनोरेल) | १६.३२ | | १६.३२ | १९.२० | | १९.२० |
| एचटी V - सार्वजनिक सेवा | १७५.०८ | | १७५.०८ | १५८.८६ | | १५८.८६ |
| एचटी V (A): सार्वजनिक सेवा - शासकीय रुग्णालये व शैक्षणिक संस्था | २५.०० | | २५.०० | १८.९४ | | १८.९४ |
| ईएचटी V (B): सार्वजनिक सेवा - इतर | ६०.२४ | | ६०.२४ | ५९.२२ | | ५९.२२ |
| एचटी V (B): सार्वजनिक सेवा - इतर | ८९.८४ | | ८९.८४ | ८९.५० | | ८९.५० |
| एचटी VI: विद्युत वाहन चार्जिंग स्टेशन्स | १६.२० | | १६.२० | १५.९८ | | १५.९८ |

| | | | | | | |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| उप-एकूण | २,३१७.०७ | ०.२३ | २,३१७.३० | २,५३६.९९ | ०.२१ | २,५३७.२० |
| एलटी विभाग | | | | | | |
| एलटी I - निवासी (बीपीएल) | - | - | - | - | - | - |
| एलटी I - निवासी | ६०५.१० | १,४३५.१६ | २,०४०.२६ | ५६९.४९ | १,४४९.९० | २,०१९.४० |
| ०-१०० | १५१.९६ | ५३०.३९ | ६८२.३५ | १५५.८५ | ५८३.६५ | ७३९.५० |
| १०१-३०० | १८३.९६ | ६०५.९६ | ७८९.९२ | १७३.०९ | ६०२.१० | ७७५.२० |
| ३०१-५०० | ८२.४२ | १८३.७६ | २६६.१८ | ६९.५० | १६१.८५ | २३१.३५ |
| ५०१ व त्यापेक्षा अधिक | १८६.७६ | ११५.०५ | ३०१.८१ | १७१.०५ | १०२.३० | २७३.३५ |
| एलटी II - व्यावसायिक | ५४३.३३ | १०२.७९ | ६४६.१२ | ४८०.९१ | १०३.७८ | ५८४.६९ |
| एलटी II(A) - व्यावसायिक २० केडब्ल्यूपर्यंत | १२४.७३ | ७२.९६ | १९७.६९ | ९७.९२ | ७३.७५ | १७१.६७ |
| एलटी II(B) - व्यावसायिक २० ते ५० केडब्ल्यू | ८१.३३ | १३.०९ | ९४.४२ | ७२.३६ | १३.५६ | ८५.९२ |
| एलटी II(C) - व्यावसायिक ५० केडब्ल्यूपेक्षा जास्त | ३३७.२७ | १६.७४ | ३५४.०१ | ३१०.६३ | १६.४७ | ३२७.१० |
| एलटी III (A) - औद्योगिक २० केडब्ल्यूपर्यंत | २५.०० | १४.९२ | ३९.९२ | २१.१६ | १४.५९ | ३५.७५ |
| एलटी III (B) - औद्योगिक २० केडब्ल्यूपेक्षा कमी | २३२.८९ | ७.९७ | २४०.८६ | २१३.२५ | ७.४१ | २२०.६५ |
| एलटी IV- सार्वजनिक सेवा | ३०.१३ | ३.०५ | ३३.१८ | २९.५७ | ४.२८ | ३३.८५ |
| एलटी IV (A) - सार्वजनिक सेवा शासकीय रुग्णालये व शैक्षणिक संस्था | ५.६८ | १.४६ | ७.१४ | ४.६६ | १.८२ | ६.४८ |
| एलटी IV (B) - सार्वजनिक सेवा इतर | २४.४६ | १.५९ | २६.०५ | २४.९१ | २.४६ | २७.३७ |
| एलटी VI: विद्युत वाहन चार्जिंग स्टेशनस | २.०० | - | २.०० | १.३४ | ०.०२ | १.३५ |

| | | | | | | |
|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| उप-एकूण | १,४३८.४६ | १,५६३.८९ | ३,००२.३५ | १,३१५.७१ | १,५७९.९८ | २,८९५.७० |
| | | | - | | | |
| १५ दिवस | ८.३१ | ३.६३ | ११.९४ | १०.८६ | ३.१७ | १४.०३ |
| एकूण | ३,७६३.८३ | १,५६७.७४ | ५,३३१.५७ | ३,८६३.५६ | १,५८३.३६ | ५,४४६.९३ |

11. आर्थिक वर्ष २०२२-२३ साठी एकूण विक्री ५४४६.९३ एमयू असून ती एमवायटी आदेशात तात्पुरत्या स्वरूपात मान्यताप्राप्त केल्याप्रमाणे आहे.

1.2 आर्थिक वर्ष २०२२-२३ साठी वीजखरेदी आकारमान आणि दर

12. या विभागात टाटा पॉवर-डीने आर्थिक वर्ष २०२२-२३ साठी प्रत्यक्ष वीज खरेदी सादर केली आहे. टाटा पॉवर-डीची विजेची आवश्यकता खालील स्रोतांकडून पूर्ण केली जाते:

- (i) टाटा पॉवर-जीकडून वीजखरेदी
- (ii) नूतनक्षम स्रोतांमधून वीजखरेदी
- (iii) लघुकालीन द्विपक्षीय स्रोतांकडून वीजखरेदी

13. आर्थिक वर्ष २०२२-२३ साठी टाटा पॉवर-डीचा मंजूर आणणि प्रत्यक्ष वीज खरेदी खर्चाचा सारांश खालील तक्त्यात दर्शवल्याप्रमाणे आहे:

तक्ता १-३: आर्थिक वर्ष २०२२-२३ साठी वीज खरेदी खर्च

| आर्थिक वर्ष २०२२-२३ साठी वीज खरेदी | एमटीआर दर आदेशामध्ये मान्यताप्राप्त | | | टाटा पॉवर-डी वास्तविक | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|------------|-----------------------|---------------------|------------|
| | एमयू | रूपये/के डब्ल्यूए च | कोटी रूपये | एमयू | रूपये/के डब्ल्यूए च | कोटी रूपये |
| टाटा पॉवर-जीकडून वीज खरेदी | ३१६२.१० | ८.१२ | २५६६.१३ | ३११२.८७ | ८.५४ | २६५८.६१ |
| आरई खरेदी | ११३५.१९ | ३.३५ | ३८०.६५ | ११३४.३५ | ३.४० | ३८५.४९ |
| द्विपक्षीय व यूआय खरेदी | १२४६.५५ | ६.०६ | ७५५.७४ | १३९२.०४ | ५.६७ | ७८८.६५ |
| ओएलए विक्री | ५.७१ | ९.१९ | -५.२४ | -३४.७८ | ८.५२ | -२९.६४ |
| एमएसएलडीसी शुल्क | - | - | १.२८ | | | १.२७ |

| | | | | | | |
|----------------------------|----------------|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| स्टॅडबाय शुल्क | ०.८६ | - | १००.४० | १.२५ | | १००.८५ |
| पारेषण शुल्क | - | - | २५९.१३ | | | २६०.०२ |
| एकूण वीज खरेदी खर्च | ५५३९.१६ | ७.३३ | ४०५८.०९ | ५६०५.७३ | ७.४३ | ४१६५.२५ |

14. टाटा पॉवर-डीसाठी आर्थिक वर्ष २०२२-२३ या कालावधीत एकूण वीज खरेदी खर्च ४१६५.२५ कोटी रूपये होता. आम्ही माननीय आयोगाला त्यासाठी मंजूरी देण्याची विनंती करतो.

1.3 भांडवली खर्च आणि भांडवलीकरण

15. माननीय आयोगाने ३१ मार्च २०२३ रोजीच्या प्रकरण क्रमांक २०२२ चा २२५ या प्रकरणी दिलेल्या एमटीआर दरपत्रक आदेशात वितरण वायर उद्योगासाठी १५६.०७ कोटी रूपयांचे आणि रिटेल पुरवठा उद्योगासाठी ३४.७३ कोटी रूपयांच्या भांडवलीकरणाला मंजूरी दिली आहे. याउलट आर्थिक वर्ष २०२२-२३ साठी वितरण वायर उद्योगाचे प्रत्यक्ष भांडवलीकरण १७०.५१ कोटी रूपये आहे तर रिटेल पुरवठा उद्योगासाठी २२.२९ कोटी रूपये आहे. टाटा पॉवर-डीसाठी आर्थिक वर्ष २०२२-२३ साठी प्रत्यक्ष भांडवलीकरण आणि भांडवली खर्च खालील तक्त्यात दर्शवल्यानुसार आहे:

तक्ता १-४: आर्थिक वर्ष २०२२-२३ साठी भांडवलीकरण

रूपये कोटी

| तपशील | वितरण वायर उद्योग | | रिटेल पुरवठा | |
|-------------------------------------|-------------------|---------------|--------------|--------------|
| | भांडवल खर्च | भांडवलीकरण | भांडवल खर्च | भांडवलीकरण |
| एमटीआर दर आदेशामध्ये मान्यताप्राप्त | | १५६.०७ | | ३४.७३ |
| बिगर डीपीआर योज | ९.७४ | १६.८३ | १.७७ | १.३९ |
| डीपीआर केसेस | १३७.६७ | १५३.६८ | २२.७९ | २०.९० |
| <i>एनडीपीआर/डीपीआर प्रमाण</i> | | ११% | | ७% |
| एकूण | १४७.४१ | १७०.५१ | २४.५६ | २२.२९ |

16. उक्तनिर्देशित तक्त्यातून दिसून येते की संपूर्ण वितरण उद्योगासाठी डीपीआर योजनांचे भांडवलीकरण १७४.५८ कोटी रूपये आहे आणि बिगर डीपीआर योजनांसाठी ते १८.२१ कोटी रूपये आहे. बिगर डीपीआर ते डीपीआरशी प्रमाण १०.४३ टक्के आहे, जे बिगर डीपीआर ते डीपीआरच्या २० टक्के मर्यादेपेक्षा कमी आहे. वरील दृष्टीकोनातून आम्ही माननीय आयोगाला वितरण वायर आणि रिटेल पुरवठा उद्योगांसाठी अनुक्रमे १७०.५१ कोटी रूपये आणि २२.२९ कोटी रूपयांचे प्रत्यक्ष भांडवलीकरण मंजूर करावे अशी विनंती करतो. प्रत्यक्ष भांडवलीकरणाची तपशीलवार योजनानिहाय संरचना एमटीआर याचिकेच्या अर्ज ४.२ मध्ये देण्यात आली आहे. आम्ही माननीय आयोगाला त्याला मंजूरी द्यावी अशी विनंती करतो.

1.4 आर्थिक वर्ष २०२२-२३ साठी एकूण महसुली आवश्यकता

17. वरील सादरीकरणावर आधारित राहून टाटा पॉवर-डीच्या वितरण वायर आणि पुरवठा उद्योगाचा एआरआर खालीलप्रमाणे आहे:

तक्ता १-५: आर्थिक वर्ष २०२२-२३ साठी वितरण वायर आणि पुरवठा उद्योगासाठी एआरआर

| तपशील | एमटीआर दर आदेश | टाटा पॉवर-डी |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| वीज खरेदी खर्चासह स्टॅंडबाय शुल्क | ३६९८.२२ | ३८०३.१२ |
| आंतर राज्य पारेषण शुल्क | २५९.१३ | २६०.०२ |
| एमएसएलडीसी शुल्क आणि आकार | १००.७४ | १०२.१२ |
| ओअॅण्डएम खर्च | २४५.४८ | २५३.६२ |
| घसारा | १६०.३८ | १५८.९५ |
| कर्ज भांडवलावर व्याज | ६६.०५ | ७०.५७ |
| खेळत्या भांडवलावर व्याज | ९.१४ | १२.१४ |
| सीएसडीवर व्याज | १५.५१ | १०.७५ |
| वाईट आणि शंकास्पद कर्जासाठी तरतूद | -१.७४ | -३.६२ |
| आपत्कालीन साठ्यात योगदान | ०.६० | ०.६० |
| इतर (डीएसएम) | ०.५२ | ०.४२ |
| एकूण महसूल खर्च | ४५५४.०३ | ४६६८.६९ |
| अधिक: भाग भांडवलावर परतावा | १३८.१३ | १५२.७६ |
| एकूण महसूल आवश्यकता | ४६९२.१६ | ४८२१.४५ |
| वजा: दरेतर उत्पन्न | १६.८८ | ११.८६ |
| वजा: ओए ग्राहकांकडून उत्पन्न | ४३.८८ | ३०.३७ |
| एकूण महसूल आवश्यकता | ४६३१.४० | ४७७९.२२ |

18. उक्तनिर्देशित तक्त्यामधून दिसून येते की आर्थिक वर्ष २०२२-२३ या कालावधीसाठी एकूण महसुली आवश्यकता ४७७९.२२ कोटी रूपये आहे.

1.5 आर्थिक वर्ष २०२२-२३ साठी टाटा पॉवर-डीच्या वितरण उद्योगातून महसूल

19. आर्थिक वर्ष २०२२-२३ दरम्यान वितरण उद्योगासाठी टाटा पॉवर-डीने वसूल केलेला एकूण महसूल खाली दर्शवल्यानुसार आहे:

तक्ता १-६: आर्थिक वर्ष २०२२-२३ साठी वितरण वायर आणि रिटेल पुरवठा उद्योगाचा एकूण महसूल

| महसूल | एमटीआर आदेशामध्ये मान्यताप्राप्त | एकूण | विक्री | एबीआर |
|---------------------------|--|----------------|---------|-------------------|
| | रु. कोटी | रु. कोटी | एमयू | रूपये/केडब्ल्यूएच |
| महसूल पुरवठा उद्योग | ३५३१.७० | ३४२१.३१ | ५४४६.९३ | ६.२८ |
| महसूल व्हीलिंग शुल्क | ४२६.८८ | ४०५.६६ | ३८६३.५६ | १.०५ |
| महसूल व्हीलिंग शुल्क (ओए) | २१.१४ | २४.२७ | २३२.३३ | १.०४ |
| ओएमधून महसूल | २२.७४ | ६.११ | २३२.३३ | ०.२६ |
| एकूण | ४००२.४६ | ३८५७.३४ | | |

20. वरील तक्त्यातून दिसून येते की टाटा पॉवर डीने आर्थिक वर्ष २०२२-२३ या कालावधीत रिटेल पुरवठा उद्योगासाठी ३४२१.३१ कोटी रूपये तर व्हीलिंग उद्योगातून ४०५.६६ कोटी रूपये मिळवले आहेत. त्यांचा वापर आर्थिक वर्ष २०२२-२३ साठी एआरआरमधील तफावत/(अतिरिक्त) निश्चित करण्यासाठी केला गेला आहे. टाटा पॉवर-डीने आंतर सवलत अधिभारासाठी (सीएसएस) ६.११ कोटी रूपयांचा आणि खुल्या पोहोच ग्राहकांकडून २४.२७ कोटी रूपयांचा महसूल व्हीलिंग शुल्कासाठी गोळा केला आहे. तफावत / (अतिरिक्त) गणन करत असताना त्याचा विचार एकूण एआरआरमधील घट म्हणून करण्यात आला आहे.

1.6 आर्थिक वर्ष २०२२-२३ साठी महसुली तफावत / (अतिरिक्त)

21. उक्तनिर्देशित बाबींवर आधारित राहून आर्थिक वर्ष २०२२-२३ साठी वितरण वायर आणि रिटेल पुरवठा उद्योगाचा टाटा पॉवर-डीचा एकत्रित महसुली तफावत / (अतिरिक्त) खालील तक्त्यामध्ये दर्शवल्याप्रमाणे आहे:

तक्ता १-७: आर्थिक वर्ष २०२२-२३ साठी वितरण उद्योगासाठी तफावत / (अतिरिक्त)

रूपये कोटी

| तपशील | एमटीआर दर आदेश | टाटा पॉवर-डी |
|---------------------------------------|----------------|---------------|
| निव्वळ एकूण महसूल आवश्यकता | ४६३१.४० | ४७७९.२२ |
| वितरण वायर + रिटेल पुरवठ्यामधून महसूल | ३९५८.५८ | ३८२६.९७ |
| महसूल तफावत/(अतिरिक्त) | ६७२.८२ | ९५२.२५ |

22. वरील तक्त्यातून दिसून येते की आर्थिक वर्ष २०२२-२३ साठी वितरण उद्योगाची एकत्रित तफावत ९५२.२५ कोटी रूपये आहे तर मंजूर झालेली तफावत ६७२.८२ कोटी रूपये आहे.

23. आम्ही माननीय आयोगाला आर्थिक वर्ष २०२२-२३ साठी वितरण उद्योगाकरिता ९५२.२५ कोटी रूपयांच्या तफावतीला मंजूरी द्यावी अशी विनंती करत आहोत ज्याचा विचार आम्ही एकत्रित महसूल तफावत मोजण्यासाठी केला आहे.

- आर्थिक वर्ष २०२३-२४ साठी एकूण महसुली आवश्यकतेचे अचूक समायोजन

24. या विभागात टाटा पॉवर-डीच्या वितरण वायर्स आणि रिटेल पुरवठा उद्योगासंदर्भात आर्थिक वर्ष २०२३-२४ च्या तात्पुरत्या अचूक समायोजनाची चर्चा व सादरीकरण करण्यात आले आहे. सबमिट करण्यात आले आहे की या विभागात सादर करण्यात आलेले गणन एमवायटी विनियम, २०१९, २०२२ च्या प्रकरण २२५ मध्ये मंजूर करण्यात आलेले दिनांक ३१ मार्च २०२३ रोजीचे एमटीआर आदेश आणि विविध आदेशांमध्ये आखून दिलेल्या तत्वांचा विचार करून करण्यात आले आहे. तसेच, टाटा पॉवर-डी ने २०२३ च्या अपील क्रमांक ३६९ मध्ये माननीय एटीईने मंजूर केलेल्या निर्देशांचा देखील विचार केला आहे, हे अपील टाटा पॉवर-डीने उपरोक्त एमटीआर आदेशाविरुद्ध दाखल केले आहे.

25. आर्थिक वर्ष २०२३-२४ च्या तात्पुरत्या अचूक समायोजनासाठी वीज खरेदी व विक्रीचे प्रत्यक्ष मूल्य सप्टेंबर, २०२३ पर्यंत विचारात घेण्यात आले आहे. तसेच, सुधारित तात्पुरत्या मूल्यांची तुलना माननीय आयोगाने त्यांच्या एमटीआर आदेशामध्ये विचारात घेतलेल्या खर्चासोबत करण्यात आली आहे.

26. तसेच, एप्रिल २०२३ ते सप्टेंबर २०२३ पर्यंतची प्रत्यक्ष विक्री विचारात घेत टाटा पॉवर-डीने संतुलित कालावधीसाठी विक्रीचा अंदाज वर्तवला आहे आणि आर्थिक वर्ष २०२३-२४ साठी अंदाजित एकूण विक्री वर्तवली आहे, जी खाली तक्त्यामध्ये देण्यात आली आहे.

तक्ता १-८: आर्थिक वर्ष २०२३-२४ साठी अंदाजित विक्री

एमयू

| ग्राहक विभाग | एमवायटी दर आदेशामध्ये मान्यताप्राप्त | | | आर्थिक वर्ष २०२३-२४ साठी अंदाजित | | |
|---------------------|---|-----------|--------|-------------------------------------|-----------|--------|
| | प्रत्यक्ष | चेंजओव्हर | एकूण | प्रत्यक्ष | चेंजओव्हर | एकूण |
| ईएचव्ही - उद्योग | २१४.५९ | ०.०० | २१४.५९ | ८६३.९२ | | ८६३.९२ |

| | | | | | | |
|---|--------|------|--------|---------|------|---------|
| एचटी I - उद्योग | ९८४.७० | ०.०० | ९८४.७० | १०२८.८६ | | १०२८.८६ |
| ईएचव्ही- व्यावसायिक | १०६.२२ | ०.०० | १०६.२२ | १०२.५४ | | १०२.५४ |
| एचटी II - व्यावसायिक | ३९४.८९ | ०.१५ | ३९५.०४ | ३५२.९४ | ०.२१ | ३५३.१५ |
| एचटी III - समूह गृहनिर्माण संस्था | १३.२३ | ०.०० | १३.२३ | ५७.५६ | | ५७.५६ |
| एचटी IV: एचटी - मोनो/मेट्रो/रे ल्वे | ७१.५० | ०.०० | ७१.५० | ११०.०५ | | ११०.०५ |
| एचटी IV - रेल्वे (२२/३३ केव्ही) | ७१.३८ | ०.०० | ७१.३८ | ८६.५३ | | ८६.५३ |
| एचटी IV - रेल्वे (मेट्रो व मोनोरेल) | ०.१२ | ०.०० | ०.१२ | २३.५२ | | २३.५२ |
| एचटी V - सार्वजनिक सेवा | २३८.८५ | ०.०० | २३८.८५ | १३८.३९ | | १३८.३९ |
| एचटी V(A) - सार्वजनिक सेवा शासकीय रूग्णालये व शैक्षणिक संस्था | १४.४९ | ०.०० | १४.४९ | १९.७० | | १९.७० |
| ईएचव्ही - सार्वजनिक सेवा इतर | २२४.३६ | ०.०० | २२४.३६ | ५९.४७ | | ५९.४७ |

| | | | | | | |
|--|----------------|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| एचटी V(B) - सार्वजनिक सेवा इतर | | ०.०० | ०.०० | ५९.२२ | | ५९.२२ |
| एचटी VI: विद्युत वाहन चार्जिंग स्टेशन्स | ०.०० | ०.०० | ०.०० | २१.४५ | | २१.४५ |
| उप-एकूण | २०२३.९८ | ०.१६ | २०२४.१४ | २६७५.७२ | ०.२१ | २६७५.९३ |
| एलटी विभाग | | | | | | |
| एलटी I - निवासी (बीपीएल) | | | | | | |
| एलटी I - निवासी | ७०५.६५ | १४१७.७५ | २१२३.४० | ६५५.६१ | १४१७.२२ | २०७२.८३ |
| ०-१०० | १८८.८८ | ६०६.०५ | ७९४.९३ | १८२.३१ | ५८५.२५ | ७६७.५६ |
| १०१-३०० | २०५.९६ | ५७७.४० | ७८३.३६ | १९९.०७ | ५९१.६१ | ७९०.६८ |
| ३०१-५०० | ८१.९३ | १३७.३७ | २१९.३० | ७७.११ | १५०.५४ | २२७.६५ |
| ५०१ व त्यापेक्षा अधिक | २२८.८८ | ९६.९३ | ३२५.८१ | १९७.११ | ८९.८४ | २८६.९४ |
| एलटी II - व्यावसायिक | ६६०.१४ | १६२.०९ | ८२२.२३ | ६२२.६४ | १०८.६० | ७३१.२५ |
| एलटी III(A) - व्यावसायिक २० केडब्ल्यूपर्यंत | १५४.५६ | १०२.२१ | २५६.७७ | १३०.११ | ८४.०७ | २१४.१८ |
| एलटी III(B) - व्यावसायिक २० ते ५० केडब्ल्यू | १५६.५४ | २४.७२ | १८१.२६ | ९२.०२ | ११.५३ | १०३.५५ |
| एलटी III(C) - व्यावसायिक ५० | ३४९.०४ | ३५.१६ | ३८४.२० | ४००.५१ | १३.०० | ४१३.५१ |

| | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| केडब्ल्यूपेक्षा जास्त | | | | | | |
| एलटी III (A) - औद्योगिक २० केडब्ल्यूपर्यंत | १९.५५ | ५.६५ | २५.२० | २१.९३ | १५.३० | ३७.२३ |
| एलटी III (B) - औद्योगिक २० केडब्ल्यूपेक्षा कमी | २११.५८ | ०.९३ | २१२.५१ | २५५.५४ | ५.४५ | २६०.९९ |
| एलटी IV - सार्वजनिक सेवा | ३४.२९ | ९.६९ | ४३.९८ | ४०.९७ | ६.८३ | ४७.८० |
| एलटी IV (A) - सार्वजनिक सेवा शासकीय रूग्णालये व शैक्षणिक संस्था | ३३.७६ | ०.०० | ३३.७६ | ३.५९ | ३.२८ | ६.८७ |
| एलटी IV (B) - सार्वजनिक सेवा इतर | ०.५३ | ९.६९ | १०.२२ | ३७.३८ | ३.५६ | ४०.९४ |
| एलटी VI: विद्युत वाहन चार्जिंग स्टेशन्स | ०.१० | ०.०० | ०.१० | २.६७ | ०.०८ | २.७५ |
| उप-एकूण | १६३१.३१ | १५९६.११ | ३२२७.४२ | १५९९.३६ | १५५३.४८ | ३१५२.८५ |
| १५ दिवस | | | | ३.३७ | ५.८७ | ९.२४ |
| एकूण | ३६५५.३० | १५९६.२७ | ५२५१.५६ | ४२७८.४६ | १५५९.५६ | ५८३८.०२ |

27. वरील तक्त्यामधून दिसून येते की आर्थिक वर्ष २०२३-२४ साठी अंदाजित विक्री ५८३५.०२ एमयू आहे आणि आर्थिक वर्ष २०२३-२४ च्या वीज आवश्यकतेसाठी विचार करण्यात आली आहे.

1.7 आर्थिक वर्ष २०२३-२०२४ साठी वीजखरेदी आकारमान आणि खर्च

28. टाटा पॉवर-डीने आर्थिक वर्ष २०२३-२४ साठी साठी तात्पुरती वीज खरेदीची आवश्यकता खाली सादर केली आहे. आर्थिक वर्ष २०२३-२४ साठी टाटा पॉवर-डी ची वीजेची गरज खालील स्रोतांमधून पूर्ण केली जात आहे:

- टाटा पॉवर-जीकडून वीजखरेदी
- नूतनक्षम स्रोतांकडून वीजखरेदी
- लघुकालीन द्विपक्षीय स्रोतांकडून वीजखरेदी

1.7.1 आर्थिक वर्ष २०२३-२४ साठी एकूण वीज खरेदी खर्च

29. वरील चर्चेच्या आधारावर आर्थिक वर्ष २०२३-२४ साठी वीजखरेदीचा तात्पुरता खर्च खालीप्रमाणे आहे:

तक्ता १-९: आर्थिक वर्ष २०२३-२४ साठी तात्पुरता वीजखरेदी खर्च

| आर्थिक वर्ष २०२३-२४ साठी वीज खरेदी स्रोत | एमवायटी दर आदेशामध्ये मान्यताप्राप्त | | | टाटा पॉवर-डी Provisional वीज खरेदी खर्च | | |
|--|--------------------------------------|---------------------|------------|---|---------------------|------------|
| | एमयू | रूपये/के डब्ल्यूए च | कोटी रूपये | एमयू | रूपये/के डब्ल्यूए च | कोटी रूपये |
| टाटा पॉवर-जीकडून वीज खरेदी | ३७८८.२३ | ४.६६ | १७६४.७० | ३०४५.३८ | ६.३३ | १९२८.५४ |
| नॉन सोलार आरपीओ + सोलार + आरईसी | १०४४.७१ | ३.४६ | ३६१.८८ | १५०६.४९ | ३.२८ | ४९४.१२ |
| द्विपक्षीय व यूआय खरेदी | ६२५.८० | ३.५६ | २२२.६९ | १४९४.४७ | ५.१८ | ७७४.४६ |
| ओएलए विक्री | | | | -८१.४१ | ८.०१ | -६५.१८ |
| एमएसएलडीसी शुल्क | - | - | १.३७ | | | १.०२ |
| वापरलेल्या वीजेसाठी स्टॅंडबाय शुल्क | | | ० | ०.८५ | | ०.८५ |
| निश्चित स्टॅंडबाय शुल्क | - | - | ९९.१९ | ०.०० | | ६०.३९ |
| पारेषण शुल्क | - | - | २५८.९० | | | २७७.०० |

| | | | | | | |
|---------------------|---------|------|---------|---------|------|---------|
| एकूण वीज खरेदी खर्च | ५४५८.७४ | ४.९६ | २७०८.७३ | ५९६५.७९ | ५.८२ | ३४७१.२० |
|---------------------|---------|------|---------|---------|------|---------|

30. वरील तक्त्यामधून दिसून येते की आर्थिक वर्ष २०२३-२४ साठी तात्पुरता वीजखरेदी खर्च ३४७१.२० कोटी रूपये निर्धारित करण्यात आला आहे.

1.8 भांडवली खर्च आणि भांडवलीकरण

31. माननीय आयोगाने आपल्या प्रकरण क्रमांक २०१९ चे ३२६ मधील ३० मार्च २०२० रोजीच्या एमवायटी आदेशात आर्थिक वर्ष २०२३-२४ साठी वितरण वायर उद्योगासाठी ८७.९६ कोटी रूपयांचे आणि रिटेल पुरवठा उद्योगासाठी १४.०२ कोटी रूपयांच्या भांडवलीकरणाला मंजूरी दिली होती. या उलट आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मधील तात्पुरते भांडवलीकरण वितरण वायर उद्योगासाठी १७०.३९ कोटी रूपये तर रिटेल पुरवठा उद्योगासाठी ३७.०० कोटी रूपये आहे. टाटा पॉवर-डीचा आर्थिक वर्ष २०२३-२४ साठी अंदाजित भांडवली खर्च आणि भांडवलीकरण खालील तक्त्यात दर्शवण्यात आला आहे:

तक्ता १-१०: आर्थिक वर्ष २०२३-२४ साठी अंदाजित भांडवलीकरण

| तपशील | रूपये कोटी | |
|--------------------------------------|-------------|--------------|
| | वायर उद्योग | रिटेल पुरवठा |
| एमवायटी दर आदेशामध्ये मान्यताप्राप्त | ८७.९६ | १४.०२ |
| अंदाजित भांडवलीकरण | १७०.३९ | ३७.०० |

32. भांडवलीकरणाची तपशीलवार योजनानिहाय संरचना एमटीआर याचिकेच्या अर्ज ४.२ मध्ये देण्यात आली आहे. आम्ही माननीय आयोगाला त्याला मंजूरी द्यावी अशी विनंती करतो.

1.9 आर्थिक वर्ष २०२३-२४ साठी वितरण उद्योगाकरिता एआरआर (एकूण महसुली आवश्यकता)

33. एआरआरच्या घटकांच्या वरील गणनेच्या आधारावर एआरआरचा सारांश आणि एमवायटी आदेशामध्ये विचारात घेण्यात आलेली त्यांची तुलना वितरण वायर व रिटेल पुरवठा उद्योगासाठी खालील तक्त्यांमध्ये सादर केली आहे:

तक्ता १-११: आर्थिक वर्ष २०२३-२४ साठी वितरण वायर आणि पुरवठा उद्योगासाठी तात्पुरते एआरआर

| तपशील | रूपये कोटी | |
|-----------------------------------|-----------------|--------------|
| | एमवायटी दर आदेश | टाटा पॉवर-डी |
| वीज खरेदी खर्चासह स्टॅंडबाय शुल्क | २३४९.२७ | ३१३२.७९ |

| | | |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| आंतर राज्य पारेषण शुल्क | २५८.९० | २७७.०० |
| एमएसएलडीसी शुल्क आणि आकार | १.३७ | १.०२ |
| स्टॅडबाय शुल्क | ९९.१९ | ६०.३९ |
| ओअॅण्डएम खर्च | २५३.१० | २६१.८८ |
| घसारा | १५२.३७ | १६८.६७ |
| कर्ज भांडवलावर व्याज | ६५.१५ | ६८.६२ |
| खेळत्या भांडवलावर व्याज | २१.३८ | १६.१३ |
| सुरक्षा ठेवीवर व्याज | ९.७२ | ९.५६ |
| वाईट आणि शंकास्पद कर्जासाठी तरतूद | ०.०० | ०.०० |
| आपत्कालीन साठ्यात योगदान | ०.६५ | ०.६३ |
| इतर (डीएसएम) | ०.६८ | ०.५२ |
| एकूण महसूल खर्च | ३२११.७८ | ३९९७.२१ |
| अधिक: भाग भांडवलावर परतावा | १७०.४७ | १४५.९० |
| एकूण महसूल आवश्यकता | ३३८२.२४ | ४१४३.११ |
| वजा: दरेतर उत्पन्न | ७.८० | १८.२८ |
| वजा: ओए ग्राहकांकडून उत्पन्न | ०.०० | ४२.०९ |
| एकूण महसूल आवश्यकता | ३३७४.४४ | ४०८२.७४ |

34. उक्तनिर्देशित तक्त्यामधून दिसून येते की आर्थिक वर्ष २०२३-२४ या कालावधीसाठी वितरण वायर आणि रिटेल पुरवठा उद्योगाकरिता एकत्रित एआरआर (एकूण महसुली आवश्यकता) ४०८२.७४ कोटी रूपये आहे.

1.10 आर्थिक वर्ष २०२३-२४ साठी महसूल

35. टाटा पॉवर-डीने सप्टेंबर २०२३ पर्यंत वसूल करण्यात आलेला प्रत्यक्ष महसूल विचारात घेतला आहे, ज्यामध्ये एप्रिल २०२३ ते जून २०२३ पर्यंत गोळा करण्यात आलेला महसूल माननीय आयोगाने दिनांक ३१ मार्च २०२२ रोजीच्या प्रकरण क्रमांक २०२२ चा २२५ मधील टाटा पॉवर-डी एमटीआर आदेशामध्ये मंजूरी दिलेल्या दरपत्रकानुसार आहे आणि जुलै २०२३ ते सप्टेंबर २०२३ पर्यंत गोळा करण्यात आलेला महसूल माननीय आयोगाने दिनांक ३० मार्च २०२० रोजीच्या प्रकरण क्रमांक २०१९ चा ३२६ मधील एमवायटी आदेशामध्ये मंजूरी देण्यात आलेल्या दरपत्रकानुसार आहे. तसेच, आर्थिक वर्ष २०२३-२४ च्या दुसऱ्या सहामाहीसाठी महसूल माननीय आयोगाने दिनांक ३० मार्च २०२० रोजीच्या प्रकरण क्रमांक २०१९ चा ३२६ मधील त्यांच्या आदेशामध्ये मंजूरी दिलेल्या दरपत्रकावर आधारित अंदाजे आहे. याच आधारावर आर्थिक वर्ष २०२३-२४ दरम्यान वसूल एकूण अंदाजित महसूल वसुली खालील तक्त्यामध्ये देण्यात आली आहे. यासंदर्भात टाटा पॉवर-डी सादर करू इच्छिते की दिनांक ५

जानेवारी २०२३ रोजीच्या माननीय एपीटीईएल आदेशानुसार टाटा पॉवर-डीने आर्थिक वर्ष २०२३-२४ साठी अंतरिम/अंतिम दर सादर केले आहेत. आम्ही माननीय आयोगाला विनंती करतो की तात्पुरत्या अचूक समायोजनासाठी या बाबींचा परिणाम विचारात घ्यावा.

तक्ता १-१२: आर्थिक वर्ष २०२३-२४ साठी वितरण उद्योगाकरिता वसूल करण्यात आलेला अंदाजित महसूल

| रूपये कोटी | |
|-------------------------------|----------------|
| महसूल | एकूण |
| महसूल पुरवठा उद्योग | ३६७४.९७ |
| महसूल व्हीलिंग शुल्क | ४३५.७८ |
| ओएमधून महसूल (व्हीलिंग शुल्क) | २३.०४ |
| ओएमधून महसूल (सीएसएस) | १९.०५ |
| एकूण | ४१५२.८४ |

३६. वरील तक्त्यातून दिसून येते की आर्थिक वर्ष २०२३-२४ दरम्यान अंदाजित एकूण महसूल वसुली ४१५२.८४ कोटी रूपये असेल.

१.११ आर्थिक वर्ष २०२३-२४ साठी महसूल तफावत / (अतिरिक्त)

३७. आर्थिक वर्ष २०२३-२४ साठी अंदाजित महसूलाचा विचार करता वितरण वायर आणि पुरवठा उद्योगाकरिता आर्थिक वर्ष २०२३-२४ साठी महसूल तफावत / (अतिरिक्त) खालीलप्रमाणे आहे:

तक्ता १-१३: आर्थिक वर्ष २०२३-२४ साठी वितरण उद्योगाकरिता तफावत / (अतिरिक्त)

| रूपये कोटी | | |
|---------------------------------------|-----------------|---------------|
| तपशील | एमवायटी दर आदेश | टाटा पॉवर-डी |
| निव्वळ एकूण महसूल आवश्यकता | ३४५०.५९ | ४०८२.७४ |
| वितरण वायर + रिटेल पुरवठ्यामधून महसूल | ३३६६.५१ | ४११०.७४ |
| महसूल तफावत/(अतिरिक्त) | ७.९३ | -२८.०१ |

38. वरील तक्त्यातून दिसून येते की आर्थिक वर्ष २०२३-२४ साठी वितरण वायर व पुरवठा उद्योगाकरिता अंदाजित स्वतंत्र महसूल अतिरिक्त (२८.०१) कोटी रूपये आहे. आम्ही माननीय आयोगाला त्यासाठी मंजूरी देण्याची विनंती करतो.

- आर्थिक वर्ष २०२४-२५ या कालावधीसाठी एकूण महसुली आवश्यकता

39. या विभागात टाटा पॉवर-डीच्या वितरण वायर्स आणि रिटेल पुरवठा उद्योगासंदर्भात आर्थिक वर्ष २०२३-२४ साठी अंदाजित एआरआरबाबत (एकूण महसुली आवश्यकता) चर्चा व सादरीकरण करण्यात आले आहे. सबमिट करण्यात आले आहे की या विभागात महाराष्ट्र वीज नियामक आयोग (बहुवार्षिक दरपत्रक) विनियम, २०१९ ('एमवायटी विनियम, २०१९') विचारात घेत एआरआर गणन करण्यात आले आहे.

1.12 विक्रीचा अंदाज

40. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ या कालावधीसाठी टाटा पॉवर-डीच्या प्रत्यक्ष ग्राहकांच्या मागणीचा अंदाज करण्यासाठी टाटा पॉवर-डीने पुढील घटकांचा विचार केला आहे:

- मागील ट्रेण्ड्सवर आधारित सीएजीआर
- जवळपास आर्थिक वर्ष २०२२-२३ पर्यंतचा नवीन विक्री डेटा
- ओएवरील विक्री आणि
- इतर वितरण परवानाधारकाकडे जाणारे ग्राहक.

41. त्याअनुषंगाने आर्थिक वर्ष २०२४-२५ करिता i) प्रत्यक्ष विक्री, ii) चेंजओव्हर विक्री साठी विक्रीचा अंदाज खालील तक्त्यामध्ये देण्यात आली आहे:

तक्ता १-१४: आर्थिक वर्ष २०२४-२५ विक्रीचा अंदाज

एमयू

| ग्राहक विभाग | एमटीआर आदेश | | | सुधारित याचिका | | |
|-----------------------------------|-------------|----------------|---------|----------------|----------------|---------|
| | प्रत्यक्ष | चेंजओव्हर र | एकूण | प्रत्यक्ष | चेंजओव्हर र | एकूण |
| ईएचव्ही - उद्योग | ६६५.५० | | ६६५.५० | ९३६.२७ | | ९३६.२७ |
| एचटी I - उद्योग | १०४३.६३ | | १०४३.६३ | १०९९.१३ | | १०९९.१३ |
| ईएचव्ही- व्यावसायिक | ९५.०० | | ९५.०० | १०२.६६ | | १०२.६६ |
| एचटी II - व्यावसायिक | ४२७.५० | ०.२३ | ४२७.७३ | ३३५.९१ | ०.२१ | ३३६.११ |
| एचटी III - समूह गृहनिर्माण संस्था | ४८.०९ | | ४८.०९ | ८५.२० | | ८५.२० |

| | | | | | | |
|--|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| ईएचव्ही - रेल्वे मेट्रो व मोनोरेल | १६.३२ | | १६.३२ | २८.८१ | | २८.८१ |
| २२/३३ केव्ही | ९९.६२ | | ९९.६२ | ९०.५७ | | ९०.५७ |
| एचटी VI - सार्वजनिक सेवा | १८८.२६ | | १८८.२६ | १२७.७० | | १२७.७० |
| एचटी VI(A) - सार्वजनिक सेवा शासकीय रूग्णालये व शैक्षणिक संस्था | २९.८१ | | २९.८१ | २१.४० | | २१.४० |
| ईएचव्ही सार्वजनिक सेवा इतर | ६०.२४ | | ६०.२४ | ५९.७२ | | ५९.७२ |
| एचटी VI(B) - सार्वजनिक सेवा इतर | ९८.२१ | | ९८.२१ | ४६.५८ | | ४६.५८ |
| एचटी VIII - विद्युत वाहन चार्जिंग स्टेशन | १६.२० | | १६.२० | २८.७८ | | २८.७८ |
| एचटी एकूण ग्राहक संख्या | २६००.१२ | ०.२३ | २६००.३५ | २८३५.०४ | ०.२१ | २८३५.२४ |
| | | | | | | |
| एलटी विभाग | | | | | | |
| एलटी I - निवासी (बीपीएल) | | | | | | |
| एलटी I - निवासी | ७२८.५२ | १४३५.१६ | २१६३.६८ | ७५४.९२ | १४०३.५१ | २१५८.४३ |
| ०-१०० | १९३.१३ | ५७६.९२ | ७७०.०५ | २१३.२७ | ५८७.१७ | ८००.४५ |
| १०१-३०० | २१६.९१ | ५९७.७८ | ८१४.६९ | २२८.९५ | ५८६.२७ | ८१५.२२ |
| ३०१-५०० | ९०.९४ | १५९.९१ | २५०.८५ | ८५.५६ | १४५.४९ | २३१.०५ |
| ५०१ व त्यापेक्षा अधिक | २२७.५३ | १००.५५ | ३२८.०८ | २२७.१३ | ८४.५८ | ३११.७२ |
| एलटी II - व्यावसायिक | ५९९.०२ | ११३.३२ | ७१२.३४ | ८०६.३१ | ११३.३२ | ९१९.६३ |
| एलटी II(A) - व्यावसायिक २० केडब्ल्यूपर्यंत | १३७.५२ | ८०.४४ | २१७.९६ | १७२.९० | ९६.५३ | २६९.४३ |
| एलटी II(B) - व्यावसायिक २० ते ५० केडब्ल्यू | ८९.६६ | १४.४३ | १०४.०९ | ११७.०२ | ११.०६ | १२८.०८ |
| एलटी II(C) - व्यावसायिक ५० केडब्ल्यूपेक्षा जास्त | ३७१.८४ | १८.४५ | ३९०.२९ | ५१६.३९ | ११.५७ | ५२७.९६ |
| एलटी III - औद्योगिक २० केडब्ल्यूपर्यंत | २७.५६ | १६.४४ | ४४.०० | २२.७३ | १५.९९ | ३८.७२ |
| एलटी IV - औद्योगिक २० केडब्ल्यूपेक्षा कमी | २५६.७६ | ८.७८ | २६५.५४ | ३०६.२३ | ४.४२ | ३१०.६५ |

| | | | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| एलटी IX(A) - सार्वजनिक सेवा शासकीय रूग्णालये व शैक्षणिक संस्था | ६.५१ | १.७७ | ८.२८ | २.७६ | ६.५६ | ९.३२ |
| एलटी IX(B) - सार्वजनिक सेवा इतर | २६.३१ | १.५९ | २७.९० | ५६.१० | ५.३३ | ६१.४३ |
| एलटी XI: विद्युत वाहन चार्जिंग स्टेशनस | २.१२ | ०.०० | २.१२ | ५.३४ | ०.१६ | ५.५० |
| एलटी एकूण ग्राहक संख्या एमयू | १६४६.८० | १५७७.०७ | ३२२३.८७ | १९५४.३९ | १५५५.१३ | ३५०९.५२ |
| १५ दिवस | | | | | | |
| एकूण | ४२४६.९१ | १५७७.३० | ५८२४.२१ | ४७८९.४३ | १५५५.३४ | ६३४४.७७ |

1.13 वीज खरेदी योजना

42. या विभागामध्ये टाटा-पॉवर - डी ने उपरोक्त अंदाजित वीज वापराच्या गरजेच्या आधारे आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी एकूण वीज खरेदीची गरज मांडली आहे. वीज वापराची गरज पुढील स्रोतांद्वारे पुरविली जाईल असा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे:

- टाटा पॉवर-जीकडून वीजखरेदी
- नूतनक्षम स्रोतांमधून वीजखरेदी
- लघुकालीन द्विपक्षीय स्रोत
- एकत्रित वीजपुरवठा

43. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी विविध स्रोतांकडून केल्या जाणाऱ्या वीज खरेदीचा सारांश पुढे देण्यात आला आहे:

1.14 वीज खरेदीवरील एकूण खर्च:

44. टाटा पॉवर - डीचा आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी वीज खरेदीवरील एकूण खर्च पुढील तक्त्यामध्ये देण्यात आला आहे:

तक्ता १-१५: आर्थिक वर्ष २०२४-२५ कालावधीसाठी टाटा पॉवर- डीच्या एकूण वीजखरेदीवरील खर्च

| तपशील | आर्थिक वर्ष २०२४-२५ | | | | | |
|-------|---------------------|-----------------------|---------------|------|-----------------------|---------------|
| | एमयू | रुपये/केड ब्ल्यूएच | रुपये कोटी | एमयू | रुपये/केड ब्ल्यूएच | रुपये कोटी |

| | एमटीआर आदेश | | | याचिका | | |
|---------------------------------|----------------|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| | | | | | | |
| टाटा पॉवर-जी | ३३७६.७० | ७.४० | २४९८.६३ | २८३०.५५ | ६.१५ | १७४१.८० |
| नॉन-सोलार+ सौर निर्मिती + आरईसी | १३३३.२४ | ३.२२ | ४२९.३० | १४५१.४५ | ३.१५ | ४५७.७८ |
| द्विपक्षीय वीज खरेदी | १३४२.०२ | ५.१३ | ६८८.४६ | २३१०.१३ | ५.०७ | ११७०.७७ |
| स्टॅंडबाय शुल्क | - | - | १०३.५२ | | | ०.०० |
| पारिषण शुल्क | - | - | ३२९.५७ | | | ३२९.५७ |
| एसएलडीसी शुल्क | - | - | १.०९ | | | १.०९ |
| एकूण | ५९५९.०३ | ६.६९ | ४०५०.५७ | ६५९२.१३ | ५.६१ | ३७०१.०१ |

45. वरील तक्त्यामधून निदर्शनास येऊ शकते की आर्थिक वर्ष २०२४-२५ च्या नियंत्रित कालावधीकरिता वीज खरेदीची प्रस्तावित सरासरी किंमत रु. ५.६१/केडब्ल्यूएच आहे.

1.15 भांडवली खर्च आणि भांडवलीकरण

46. टाटा पॉवर - डीने आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी अंदाजित कॅपेक्स (CAPEX) आणि भांडवलीकरण योजनेवर आधारित भांडवलीकरण सुधारित केले आहे. हे भांडवलीकरण खालील तक्त्यामध्ये देण्यात आले आहे

तक्ता १-१६: आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी वितरण वायर उद्योगामधील भांडवलीकरण

रुपये कोटी

| तपशील | वायर | | पुरवठा | |
|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------|
| | आर्थिक वर्ष २०२४-२५ | | आर्थिक वर्ष २०२४-२५ | |
| | एमटीआर | सुधारित | एमटीआर | सुधारित |
| डीपीआर | १६९.७५ | १४१.४७ | ७.६९ | ४९.८५ |
| बिगर डीपीआर | २५.०० | २५.०० | | ३.५० |
| एकूण भांडवलीकरण | १९४.७५ | १६६.४७ | ७.६९ | ५३.३५ |

47. आम्ही माननीय आयोगाला अंदाजित भांडवलीकरणाला मंजूरी द्यावी अशी विनंती करतो.

1.16 एकूण महसुली आवश्यकता

48. वितरण वायर आणि रिटेल पुरवठा उद्योगासाठीचा अंदाजित एआरआर पुढील तक्त्यामध्ये देण्यात आला आहे.

तक्ता १-१७: आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मधील वितरण वायर्स उद्योगासाठी अंदाजित एआरआर

रूपये कोटी

| तपशील | वायर | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | एमटीआर आदेश | सुधारित |
| ओअॅण्डएम खर्च | १४१.१३ | १४४.४२ |
| घसारा | १५६.२४ | १५४.४८ |
| दीर्घकालीन कर्जावरील व्याज | ५८.७४ | ६१.४० |
| खेळत्या भांडवलावर व्याज | १२.३६ | १२.७८ |
| ग्राहक सुरक्षा ठेवीवर व्याज | ०.०० | ०.०० |
| वाईट व शंकास्पद कर्ज | ०.०० | ०.०० |
| एकूण वार्षिक महसूल आवश्यकता | ३६८.४७ | ३७३.०७ |
| आरओई | १४१.६५ | १४०.४३ |
| एकूण महसूल आवश्यकता | ५१०.१२ | ५१३.५० |
| वजा: | | |
| वजा: दरेतर उत्पन्न | ६.२४ | ६.२४ |
| वजा: ओए व्हीलिंग शुल्कामधून उत्पन्न | २४.३९ | २५.२८ |
| एकूण वार्षिक महसूल आवश्यकता | ४७९.४९ | ४८१.९८ |

तक्ता १-१८: आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मधील रिटेल पुरवठा उद्योगासाठी अंदाजित एआरआर

रूपये कोटी

| तपशील | पुरवठा | |
|-----------------------------|-------------|---------|
| | एमटीआर आदेश | सुधारित |
| वीज खरेदी खर्च | ३६१६.३९ | ३३७०.३५ |
| ओअॅण्डएम खर्च | १२९.८० | १३२.८२ |
| घसारा | २३.८८ | २५.७१ |
| दीर्घकालीन कर्जावरील व्याज | २.८३ | ५.२६ |
| खेळत्या भांडवलावर व्याज | ५.०४ | १३.१३ |
| ग्राहक सुरक्षा ठेवीवर व्याज | २६.३० | २०.२७ |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| वाईट व शंकास्पद कर्ज | ०.०० | ०.०० |
| आपत्कालीन साठ्यात योगदान | ०.७१ | ०.७२ |
| आंतर राज्य पारेषण शुल्क | ३२९.५७ | ३२९.५७ |
| एमएसएलडीसी शुल्क आणि आकार | १.०९ | १.०९ |
| स्टॅडबाय शुल्क | १०३.५२ | ०.०० |
| डीएसएम खर्च | ०.५२ | ०.५२ |
| एकूण वार्षिक महसूल आवश्यकता | ४२३९.६४ | ३८९९.४५ |
| आरओई | १३.४३ | १४.६४ |
| एकूण महसूल आवश्यकता | ४२५३.०८ | ३९१४.०९ |
| वजा: | | |
| वजा: दरेतर उत्पन्न | १३.५७ | १३.५७ |
| वजा: सीएसएसमधून उत्पन्न | ३९.१८ | ३२.४४ |
| एकूण वार्षिक महसूल आवश्यकता | ४२००.३२ | ३८६८.०८ |

महसुलातील एकूण तफावत/(अतिरिक्त), आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी दरपत्रक तत्व आणि विभागवार दरपत्रक

49. या आधीच्या विभागांमध्ये आर्थिक वर्ष २०२२-२३ साठी अचूक समायोजन, आर्थिक वर्ष २०२३-२४ साठी तात्पुरते अचूक समायोजन आणि आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी एआआर याबाबत चर्चा झाली आहे. या विभागामध्ये गेल्या वर्षातील कामगिरीतून निर्माण झालेली एकूण तफावत/(अतिरिक्त) म्हणजे आर्थिक वर्ष २०२२-२३ साठी वास्तविक अचूक समायोजन व आर्थिक वर्ष २०२३-२४ साठी तात्पुरते अचूक समायोजन, माननीय आयोगाने प्रकरण क्रमांक २०२२ चा २२५ मधील त्यांच्या एमटीआर दरपत्रक आदेशामध्ये मंजूर केलेल्या मागील तफावतीचा परिणाम आणि आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी दरपत्रक तत्व व दरपत्रक प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.

1.17 वितरण वायर आणि रिटेल पुरवठा उद्योगासह साठवणुकीचा खर्च यांची एकत्रित तफावत/(अतिरिक्त)

50. उपरोक्त सादरीकरणाच्या आधारे काढलेल्या निष्कर्षानुसार वितरण वायर आणि रिटेल पुरवठा उद्योगासाठी भविष्यातील दरपत्रकामध्ये समायोजित करावयाची मागील एकूण तफावत/(अतिरिक्त) चे गणन पुढील तक्त्यामध्ये करण्यात आले आहे:

तक्ता १-१९: वितरण वायर आणि पुरवठा उद्योगाची एकत्रित तफावत/(अतिरिक्त)

रूपये कोटी

| | तपशील | वायर्स | पुरवठा | एकूण |
|------------|---|--------|---------|---------|
| १ | वाढीव तफावत/(अतिरिक्त) - आर्थिक वर्ष २०१९-२० | ६.२२ | -१००.४५ | -९४.२२ |
| २ | तफावत/(अतिरिक्त) - आर्थिक वर्ष २०२०-२१ | १२६.३३ | -२९६.४२ | -१७०.०९ |
| ३ | तफावत/(अतिरिक्त) - आर्थिक वर्ष २०२१-२२ | ५७.२९ | ३२२.५४ | ३७९.८३ |
| ४ | तफावत/(अतिरिक्त) - आर्थिक वर्ष २०२२-२३ | ८.०६ | ६६४.७७ | ६७२.८२ |
| ५ | फेरविचार आदेशान्वये मंजूर केलेल्या मागील तफावत / (अतिरिक्त) मुळे वाढ | २.१० | ४९.९२ | ५२.०२ |
| ६ | एकूण पुढे नेण्याचा खर्च | ४४.०८ | १९.३६ | ६३.४४ |
| ७ | टीपीसी-जी कडून परतावा | | -२२.६५ | -२२.६५ |
| ८ | वसुलीवर आरएसीचा परतावा | -१९.५९ | | -१९.५९ |
| ९=१ ते ८ | आर्थिक वर्ष २०२२-२३ पर्यंत एमटीआर दर आदेशामध्ये मंजूर करण्यात आलेली एकूण महसूल तफावत/(अतिरिक्त) | २२४.४९ | ६३७.०८ | ८६१.५६ |
| १० | आर्थिक वर्ष २०२२-२३ साठी वाढीव तफावत/(अतिरिक्त) | ३४.७८ | २४४.६४ | २७९.४३ |
| ११ | आर्थिक वर्ष २०२२-२३ साठी वाढीव पुढे नेण्याचा खर्च | १.६२ | ११.३७ | १२.९९ |
| १२=९+१०+११ | आर्थिक वर्ष २०२२-२३ पर्यंत एकूण महसूल तफावत/(अतिरिक्त) सह वाढीव परिणाम | २६०.८९ | ८९३.०९ | ११५३.९८ |
| १२ | आर्थिक वर्ष २०२३-२४ साठी वाढीव तफावत/(अतिरिक्त) | २५.६४ | -३०१.६१ | -२७५.९७ |
| १३ | आर्थिक वर्ष २०२३-२४ साठी वाढीव पुढे नेण्याचा खर्च | २५.४५ | ६९.०२ | ९४.४८ |
| १४=१२+१३ | आर्थिक वर्ष २०२३-२४ पर्यंत एकूण मागील वसूली | ३११.९९ | ६६०.५० | ९७२.४९ |

51. टाटा पॉवर-डी आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मधील वायर उद्योगाची मागील एकूण तफावत ५० टक्के विचारात घेत व्हीलिंग शुल्क गणन करण्याचा प्रस्ताव करत आहे.

52. वरील तक्त्यामधून दिसून येऊ शकते की आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी दरपत्रकामध्ये वितरण वायर उद्योगाकरिता समायोजित करण्याची गरज असलेली निव्वळ तफावत ३११.९९ कोटी रूपये आहे, ज्यापैकी टाटा पॉवर-डीने १५५.९९ कोटी रूपये विचारात घेतले आहेत, तर रिटेल पुरवठा उद्योगासाठी दरपत्रकामध्ये वसूल करण्याची गरज असलेली निव्वळ तफावत ६६०.५० कोटी रूपये आहे. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ च्या दरपत्रकामध्ये वसूल करण्याची गरज असलेली एकूण तफावत ९७२.४९ कोटी रूपये आहे. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी वायर व पुरवठा उद्योग आणि अंदाजित विक्रीसाठी वसूल करण्याची गरज असलेली एकूण एआरआर विचारात घेता वितरण व्यवसायासाठी पुरवठ्याचा सरासरी खर्च खालील तक्त्यामध्ये देण्यात आला आहे:

तक्ता १-२०: भावी दरपत्रकामध्ये वसूल करण्याची गरज असलेली एसीओएस

रूपये कोटी

| अनु. क्र. | तपशील | वायर उद्योग | पुरवठा उद्योग | एकूण |
|------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | आर्थिक वर्ष २०२४-२५ | आर्थिक वर्ष २०२४-२५ | आर्थिक वर्ष २०२४-२५ |
| १ | प्रारंभिक शिल्लक | ३११.९९ | ६६०.५० | ९७२.४९ |
| २ | वर्षादरम्यान भर करण्यात आलेली तफावत/(अतिरिक्त) | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| ३ | वर्षादरम्यान वसूल करण्यात आलेली तफावत/(अतिरिक्त) | १५५.९९ | ६६०.५० | ८१६.४९ |
| ४=१+२-३ | अंतिम शिल्लक | १५५.९९ | ०.०० | १५५.९९ |
| ५ | व्याजदर (टक्के) | १०.०५ टक्के | १०.०५ टक्के | १०.०५ टक्के |
| ६=सरासरी(१, ४)*५ | वाढीव पुढे नेण्याचा खर्च | २३.५२ | ३३.१९ | ५६.७१ |
| ७ | स्वतंत्र एआरआर | ४८१.९८ | ३८६८.०८ | ४३५०.०६ |
| ८ | मागील तफावत वसूली | १७९.५१ | ६९३.६९ | ८७३.२० |
| ९=७+८ | वसूल करण्याची गरज असलेले एकूण एआरआर | ६६१.४९ | ४५६१.७७ | ५२२३.२६ |
| १० | वीज विक्री (एमयू) | | | ६३४४.७७ |

| | | | | |
|------------|--|--|--|------|
| ११=९/१०*१० | एसीओएस (रूपये/केडब्ल्यूएच) | | | ८.२३ |
| १२ | एफसीसह विद्यमान दरामधील एबीआर (रूपये/केडब्ल्यूएच) | | | ७.३७ |
| १३=११-१२ | प्रति युनिट महसूल तफावत (रूपये/केडब्ल्यूएच) | | | ०.८६ |
| १४=१३/१२ | आवश्यक दर वाढ | | | १२% |

53. वरील तक्त्यामधून दिसून येते की आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी वसूल करण्याची गरज असलेले एकूण एआरआर सध्याच्या रू. ७.३७/केडब्ल्यूएच च्या भारित सरासरी दराच्या (दिनांक ३० मार्च २०२० रोजीच्या २०२० च्या एमवायटी दरपत्रक आदेश ३२६ मध्ये आणि प्रस्तावित एफएसी वसूलीमध्ये मंजूर केलेले रू. ६.४१/केडब्ल्यूएच) तुलनेत रू. ८.२३/केडब्ल्यूएच च्या भारित सरासरी दराने ५२२३.२६ कोटी रूपये आहे. एआआर गरजूची पूर्तता करण्यासाठी आवश्यक सरासरी दरवाढ रू. ०.८८/केडब्ल्यूएच आहे, म्हणजेच सध्याच्या दरामध्ये जवळपास १२ टक्क्यांची वाढ गरजेची आहे.

1.18 क्रॉस सबसिडीची रचना

54. टाटा पॉवर - डी द्वारे प्रस्तावित क्रॉस सबसिडीची (सीएस) विभागवार रचना पुढील तक्त्यामध्ये देण्यात आली आहे:

तक्ता १-२१: आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी वर्गवारीनुसार क्रॉस सबसिडी

टक्केवारी (%)

| विभाग | आर्थिक वर्ष २०२३-२४ | आर्थिक वर्ष २०२४-२५ |
|----------------------|---|---------------------|
| | एमवायटी दर आदेशामध्ये मान्यताप्राप्त | अंदाजित |
| एचटी ग्राहक | | |
| ईएचव्ही - उद्योग | | ८२ % |
| एचटी I - उद्योग | १०७ % | १०२ % |
| ईएचव्ही- व्यावसायिक | | ८७ % |
| एचटी II - व्यावसायिक | १३१ % | १०८ % |

| | | |
|--|-------|-------|
| एचटी III - समूह गृहनिर्माण संस्था (निवासी) | १०९ % | १०९ % |
| एचटी V(A) - रेल्वे | | |
| एचटी IV - रेल्वे/मेट्रो/मोनो २२/३३ केव्ही | ११६ % | १०५ % |
| ईएचटी IV - रेल्वे/मेट्रो/मोनो २२/३३ केव्ही | | ९२ % |
| एचटी VI - सार्वजनिक सेवा | | |
| a) शासकीय शैक्षणिक संस्था व रूग्णालये | १२२ % | १०२ % |
| b) इतर | ११९ % | १०१ % |
| ईएचव्ही-पीडब्ल्यूडब्ल्यू | | ११८ % |
| एचटी VIII - विद्युत वाहन चार्जिंग स्टेशन्स | | १०३ % |
| एचटी एकूण | | |
| एलटी ग्राहक | | |
| एलटी I (B) - निवासी | ८२ % | ९५ % |
| - एस१ (०-१०० युनिट्स) | | |
| - एस२ (१०१-३०० युनिट्स) | | |
| - एस३ (> ३०१-५०० युनिट्स) | | |
| - एस४ (५०० युनिट्सपेक्षा जास्त (शिल्लक युनिट्स) | | |
| एलटी II - व्यावसायिक | | |
| (A) - २० केडब्ल्यूपर्यंत | १०१ % | १०६ % |
| (B) - २० केडब्ल्यूपेक्षा जास्त आणि ५० केडब्ल्यूपेक्षा कमी | १२१ % | १२० % |
| (C) - ५० केडब्ल्यूपेक्षा जास्त | १२५ % | १२० % |
| एलटी III (A) - उद्योग २० केडब्ल्यूपेक्षा कमी | ९७ % | ९८ % |
| एलटी III (B) - उद्योग २० केडब्ल्यूपेक्षा जास्त | ११५ % | ११६ % |
| एलटी IX - सार्वजनिक सेवा | | |
| a) शासकीय शैक्षणिक संस्था व रूग्णालये | १०० % | १०२ % |
| b) इतर | १०८ % | १०७ % |

1.19 दरपत्रकाचे घटक

55. उपरोक्त आकडेवारीच्या आधारे प्रस्तावित दरपत्रकाचे विविध घटक खाली देण्यात आले आहेत:

I. निश्चित/मागणीनुसार शुल्कआकारणी

56. टाटा पॉवर-डीने माननीय आयोगाने प्रकरण क्रमांक २०२२ चा २२५ मधील त्यांच्या एमटीआर दरपत्रक आदेशामध्ये मंजूर केल्याप्रमाणे त्याच मागणी शुल्काचा प्रस्ताव मांडला आहे.

II. वीज शुल्क

57. टाटा पॉवर-डीने सध्याच्या दरपत्रक याचिकेमध्ये प्रस्तावित केलेल्या क्रॉस सबसिडी रचनेवर आधारित विभागनिहाय वीज शुल्क निर्धारित केले आहे. तसेच, माननीय आयोगाने मंजूर केल्यानुसार सर्व एचटी ग्राहकांना केडब्ल्यूएच बिलिंगऐवजी केव्हीएचमध्ये बिल दिले जाईल. विभागनिहास दरपत्रक घटक पुढील परिच्छेदांमध्ये देण्यात आले आहेत.

III. इन्सॅटिव्ह - लोड फॅक्टर/पॉवर फॅक्टर/टाइम-ऑफ-डे

a) इन्सॅटिव्ह - लोड फॅक्टर

58. टाटा पॉवर-डीने माननीय आयोगाने त्यांच्या एमटीआर दरपत्रक आदेशामध्ये मंजूर केल्याप्रमाणे तोच लोड फॅक्टर इन्सॅटिव्हचा प्रस्ताव मांडला आहे.

b) टाइम-ऑफ-डे शुल्क

59. टाटा पॉवर-डीने माननीय आयोगाने प्रकरण क्रमांक २०२२ चा २२५ मधील त्यांच्या एमटीआर दरपत्रक आदेशामध्ये मंजूर केल्याप्रमाणे तोच स्लॉटनिहाय टीओडीचा प्रस्ताव मांडला आहे.

c) पीएफ इन्सॅटिव्ह / दंड

60. प्रकरण क्रमांक २०२२ चा २२५ मध्ये मंजूर केल्याप्रमाणे केडब्ल्यूएच बिलिंगसाठी पीएफ इन्सॅटिव्ह / दंड सुरु ठेवण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.

d) व्हीलिंग शुल्क

61. माननीय आयोगाने व्हीलिंग शुल्क मंजूर करताना ईएचटी:एचटी:साठी १:७६:२३ च्या जीएफए गुणोत्तराचा विचार केला आहे. जीएफए गुणोत्तराच्या वर्गीकरणासाठी स्वीकारलेल्या या तत्वाने टाटा पॉवर-डीने २०२३ या अपील क्रमांक ३६९ मध्ये आव्हान दिले आहे. तोपर्यंत टाटा पॉवर-डीने माननीय आयोगाने स्वीकारलेल्या तत्वावर आधारित व्हीलिंग शुल्काची गणना केली आहे, तसेच सुधारित जीएफए गुणोत्तरामध्ये जवळपास आर्थिक वर्ष २०२२-२३ पर्यंत भर करण्यात आलेल्या

मालमतांचा विचार करण्यात आला आहे, कारण यामधून योग्य मालमता वर्गीकरण दिसून येईल. प्रस्तावित व्हीलिंग शुल्क खाली तक्त्यामध्ये दाखवल्याप्रमाणे आहे:

तक्ता १-२२: आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी व्हीलिंग शुल्क

| | लेव्हल | व्ही लड विक्री (एमयू) | ले व्हलनार व्हील्स विक्रीची टक्केवारी | एचटी व एलटी दर म्यान व्हील्स विक्रीची टक्केवारी | जी एफ रेशिओ ची टक्केवारी | व्हीलिंग खर्चाचे पृथक्करण (जीएफए टक्केवारीनुसार) (रु. कोटी) | ईएच व्ही साठी व्हीलिंग खर्च वाटप (रु. कोटी) | एचटी साठी व्हीलिंग खर्च वाटप (रु. कोटी) | एलटी साठी व्हीलिंग खर्च वाटप (रु. कोटी) | एकूण व्हीलिंग खर्च वाटप (रु. कोटी) | व्हीलिंग शुल्क वाटप (रु./केड ब्ल्यू एच) | व्हीलिंग शुल्क वाटप (रु./केव्ही एच) |
|---------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---|--------------------------|---|---|---|---|------------------------------------|---|-------------------------------------|
| आर्थिक वर्ष २०२४-२५ | | | | | | | | | | | | |
| १ | ईएचव्ही (११० केव्ही) | ११ २७ | २२ % | | १ % | ७ | ७ | | | ७ | ०.० ६ | ०.०६ |
| २ | एचटी (३३/२२/११/६.६ केव्ही) | १९ ३५ | ३९ % | ५० % | ६५ % | ४४६ | | २२२ | | २२ २ | १.१ ५ | १.१२ |
| ३ | एलटी | १९ ५४ | ३९ % | ५० % | ३४ % | २३४ | | २२४ | २३४ | ४५ ८ | २.३ ४ | |
| | एकूण विक्री | ५० १७ | १० % | १०० % | १० % | ६८७ | ७ | ४४६ | २३४ | ६८ ७ | १.३ ७ | |

ii. नियंत्रित कालावधीसाठी व्हीलिंग तोटा

62. आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मधील शिल्लक ऊर्जेच्या आधारे व्हीलिंग तोटा स्वीकारण्यात यावा असा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे, जो खालील तक्त्यामध्ये दाखवण्यात आला आहे:

तक्ता १-२३: आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी व्हीलिंग तोटा

| वर्ष | १२ महिन्यांचा रोलिंग वितरण तोटा | एलटी नुकसान १२ महिने रोलिंग | एचटी नुकसान १२ महिने रोकिलंग |
|----------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| आर्थिक वर्ष २३ | १.१३ % | २.२२ % | ०.३० % |

iii. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी क्रॉस सबसिडीवरील अधिभार

63. टाटा पॉवर -डी ने CSS निश्चित करण्यासाठी २०१६ सालच्या टॅरीफ धोरणात निर्धारित केलेल्या फॉर्म्युल्याच्या आधारे क्रॉस सबसिडी सरचार्ज 'CSS'चे गणन केले आहे. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी CSS चे विभागवार गणन पुढील तक्त्यामध्ये देण्यात आले आहे:

तक्ता १-२४: आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी प्रस्तावित CSS (रु./केडब्ल्यूएच/केव्हीएएच यापैकी लागू असेल त्याप्रमाणे)

रूपये/ रु./के
केड व्हीए
ब्ल्यूए एच
च

| | मंजूर | ए बी आर-टी | वीज खरेदी - सीचेड ब्ल्यू एसी | सी/(१-एल टक्के) | [सी/(१-एल/१००)+डी+आर] | गणन केलेले सीएसएस | कॅपिंग | मंजूर करण्यात येणारे सीएसएस | कंजूर करण्यात येणारे सीएसएस |
|------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| एचटी विभाग | आर्थिक वर्ष २५ | आर्थिक वर्ष २५ | आर्थिक वर्ष २५ | आर्थिक वर्ष २५ | आर्थिक वर्ष २५ | आर्थिक वर्ष २५ | आर्थिक वर्ष २५ | आर्थिक वर्ष २५ | आर्थिक वर्ष २५ |

| | | | | | | | | | |
|--|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | २ ५ | | | | | | | |
| ईएचव्ही - उद्योग | १.२८ | ६. ७ ८ | ५.११ | ५.३० | ६.०३ | ०.७५ | १.३६ | ०.७५ | ०.७४ |
| एचटी I - उद्योग | १.४४ | ८. ४ १ | ५.११ | ५.३० | ७.१२ | १.३० | १.६८ | १.३० | १.२७ |
| ईएचव्ही- व्यावसायिक | १.२९ | ७. २ ० | ५.११ | ५.३० | ६.०३ | १.१६ | १.४४ | १.१६ | १.१५ |
| एचटी II - व्यावसायिक | १.६० | ८. ८ ९ | ५.११ | ५.३० | ७.१२ | १.७७ | १.७८ | १.७७ | १.७६ |
| एचटी III - समूह गृहनिर्माण संस्था (निवासी) | ०.९४ | ९. ० १ | ५.११ | ५.३० | ७.१२ | १.८९ | १.८० | १.८० | १.७७ |
| एचटी IV - रेल्वे, मेट्रो व मोनो | | | | | | | | | |
| - २२/३३ केव्ही | ०.८६ | ८. ६ ८ | ५.११ | ५.३० | ७.१२ | १.५६ | १.७४ | १.५६ | १.४३ |
| - १००केव्ही | १.५८ | ७. ६ १ | ५.११ | ५.३० | ६.०३ | १.५८ | १.५२ | १.५२ | १.४० |
| एचटी V - सार्वजनिक सेवा | | | | | | | | | |
| a) शासकीय शैक्षणिक संस्था व रूग्णालये | १.६६ | ८. ४ ३ | ५.११ | ५.३० | ७.१२ | १.३१ | १.६९ | १.३१ | १.२३ |
| b) इतर | १.४८ | ८. ३ ५ | ५.११ | ५.३० | ७.१२ | १.२३ | १.६७ | १.२३ | १.२१ |

| | | | | | | | | | |
|---|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| ईएचव्ही - सार्वजनिक सेवा इतर | १.२५ | ९. ७ ५ | ५.११ | ५.३० | ६.०३ | ३.७२ | १.९५ | १.९५ | १.९१ |
| एचटी VIII - विद्युत वाहन चार्जिंग स्टेशन्स | ०.४९ | ८. ५ १ | ५.११ | ५.३० | ७.१२ | १.३९ | १.७० | १.३९ | १.३७ |
| एलटी विभाग | | | | | | | | | |
| एलटी I - निवासी (बीपीएल) | | | | | | | | | |
| एलटी I - निवासी | ०.०० | ७. ८ ६ | ५.११ | ५.४० | ८.४२ | ०.०० | १.५७ | ०.०० | ०.०० |
| एलटी II - व्यावसायिक | | | | | | | | | |
| (A) - जवळपास २० केडब्ल्यूपर्यंत | ०.३१ | ८. ७ ६ | ५.११ | ५.४० | ८.४२ | ०.३४ | १.७५ | ०.३४ | ०.३४ |
| (B) - २० केडब्ल्यूपेक्षा जास्त आणि ५० केडब्ल्यूपेक्षा कमी | १.८८ | ९. ९ १ | ५.११ | ५.४० | ८.४२ | १.४९ | १.९८ | १.४९ | १.४९ |
| (C) - ५० केडब्ल्यूपेक्षा जास्त | १.८४ | ९. ९ १ | ५.११ | ५.४० | ८.४२ | १.४९ | १.९८ | १.४९ | १.४९ |
| एलटी III (A)- औद्योगिक २० केडब्ल्यूपर्यंत | ०.०० | ८. १ ० | ५.११ | ५.४० | ८.४२ | ०.०० | १.६२ | ०.०० | ०.०० |
| एलटी III (B) - औद्योगिक २० केडब्ल्यूपेक्षा कमी | १.०६ | ९. ५ २ | ५.११ | ५.४० | ८.४२ | १.१० | १.९० | १.१० | १.१० |
| एलटी IX - सार्वजनिक सेवा शासकीय रुग्णालये व शैक्षणिक संस्था | ०.०० | ८. ३ ९ | ५.११ | ५.४० | ८.४२ | ०.०० | १.६८ | ०.०० | ०.०० |
| सार्वजनिक सेवा इतर | ०.७७ | ८. ७ ९ | ५.११ | ५.४० | ८.४२ | ०.३८ | १.७६ | ०.३८ | ०.३८ |

iv. नियंत्रण कालावधीसाठी ओपन अॅक्सेस ग्राहकांकरिता शुल्क

64. वितरण ओए विनियम २०१६ आणि २०१९ मध्ये त्यात करण्यात आलेली सुधारणा यांच्या आधारे ओए ग्राहकांना लागू शुल्क पुढीलप्रमाणे:

- व्हीलिंग शुल्क
- क्रॉस सबसिडी सरचार्ज
- अतिरिक्त सरचार्ज
- नियामक मालमत्ता शुल्क

1.20 नियंत्रण कालावधीसाठी सुधारित दरपत्रक

65. वर सादर केलेल्या सबमिशननुसार आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी लागू दरपत्रक पुढील तक्त्यामध्ये सादर करण्यात आले आहे:

तक्ता १-२५: १ एप्रिल २०२४ ते ३१ मार्च २०२५ पर्यंतच्या कालावधीसाठी प्रस्तावित दरपत्रक
(रू./केडब्ल्यूएच/केव्हीएएच)

| विभाग | वीजदराचे धटक | | | | |
|------------------|-------------------|-------------------|---|---|---|
| | निश्चित शुल्क | मागणी शुल्क | व्हीलिंग शुल्क | वीज शुल्क | सीएसएस |
| | रू./कनेक्शन/मासिक | रू./केव्हीए/मासिक | एचटी साठी रू./के व्हीएच आणि एलटी साठी रू./केडब्ल्यूएच | एचटी साठी रू./के व्हीएच आणि एलटी साठी रू./केडब्ल्यूएच | एचटी साठी रू./के व्हीएच आणि एलटी साठी रू./केडब्ल्यूएच |
| एचटी विभाग | | | | | |
| ईएचव्ही - उद्योग | | ४०० | ०.०६ | ६.४७ | ०.७४ |
| एचटी। - उद्योग | | ४०० | १.१२ | ६.२४ | १.२७ |

| | | | | | |
|---|-----|-----|------|------|-------------|
| ईएचव्ही- व्यावसायिक | | ४०० | ०.०६ | ६.१० | १.१५ |
| एचटी II - व्यावसायिक | | ४०० | १.१२ | ५.७५ | १.७६ |
| एचटी III - समूह गृहनिर्माण संस्था | | ४०० | १.१२ | ६.९१ | १.७७ |
| एचटी IV: एचटी - मोनो/मेट्रो/रेल्वे | | | | | |
| एचटी IV - रेल्वे (२२/३३ केव्ही) | | ४०० | १.१२ | ५.३७ | १.४३ |
| ईएचव्ही IV - रेल्वे (मेट्रो व मोनोरेल) | | ४०० | ०.०६ | ३.४८ | १.४० |
| एचटी V - सार्वजनिक सेवा | | | | | |
| एचटी V(A) - सार्वजनिक सेवा शासकीय रूग्णालये व शैक्षणिक संस्था | | ४०० | १.१२ | ४.३० | १.२३ |
| ईएचव्ही - सार्वजनिक सेवा इतर | | ४०० | ०.०६ | ४.२८ | १.२१ |
| एचटी V(B) - सार्वजनिक सेवा इतर | | ४०० | १.१२ | ९.४२ | १.९१ |
| एचटी VI: विद्युत वाहन चार्जिंग स्टेशन्स | | ८० | १.१२ | ७.२८ | १.३७ |
| उप-एकूण | | | | | |
| एलटी विभाग | | | | | |
| एलटी I A- निवासी (बीपीएल) | | | | | |
| एलटी IB - निवासी | | | | | ०.०० |
| ०-१०० | ९० | | २.३४ | ४.९६ | |
| १०१-३०० | १३५ | | २.३४ | ६.९७ | |
| ३०१-५०० | १३५ | | २.३४ | ८.४० | |
| ५०१ व त्यापेक्षा अधिक | १६० | | २.३४ | ७.९४ | |
| एलटी II - व्यावसायिक | | | | | |
| एलटी II(A) - व्यावसायिक २० केडब्ल्यूपर्यंत | ४७५ | | २.३४ | ६.०८ | ०.३४ |
| एलटी II(B) - व्यावसायिक २० ते ५० केडब्ल्यू | | ४०० | २.३४ | ५.६३ | १.४९ |
| एलटी II(C) - व्यावसायिक ५० केडब्ल्यूपेक्षा जास्त | | ४०० | २.३४ | ६.२० | १.४९ |
| एलटी III (A) - औद्योगिक २० केडब्ल्यूपर्यंत | ४७५ | | २.३४ | ६.३० | ०.०० |
| एलटी III (B) - औद्योगिक २० केडब्ल्यूपेक्षा कमी | | ४०० | २.३४ | ६.२७ | १.१० |

| एलटी IV - सार्वजनिक सेवा | | | | | |
|--|-----|----|------|------|------|
| एलटी IV(A) - सार्वजनिक सेवा शासकीय रुग्णालये व शैक्षणिक संस्था | ४७५ | | २.३४ | ७.३७ | ०.०० |
| एलटी IV(B) - सार्वजनिक सेवा इतर | ४७५ | | २.३४ | ६.४५ | ०.३८ |
| एलटी VI: विद्युत वाहन चार्जिंग स्टेशन्स | | ८० | २.३४ | ४.०७ | |

सूचना:

- सर्व ग्राहकांना FAC लागू असेल आणि हे शुल्क माननीय आयोगाने निश्चित केलेल्या FAC फॉर्म्युल्याच्या आधारे दरपत्रकाच्या व्यतिरिक्त व मासिक स्तरावर आकारले जाईल.
- तसेच, ३ फेज पुरवठा प्राप्त करणाऱ्या निवासी ग्राहकांवर प्रती महिना रु. १६० इतके निश्चित शुल्क आकारले जाईल. प्रत्येक १० kW लोडसाठी किंवा १० kW पेक्षा अधिक लोडवर अतिरिक्त निश्चित शुल्क १६० रुपये देखील देय असेल.

1.21 आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी सुधारित सरासरी बिलिंग दर (एबीआर)

वरील निर्धारणाच्या आधारे आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी सुधारित एबीआर पुढील तक्त्यामध्ये देण्यात आले आहे:

तक्ता १-२६: आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी प्रस्तावित एबीआर

| ग्राहक विभाग | सरासरी बिलिंग दर |
|--|-------------------|
| | रूपये/केडब्ल्यूएच |
| एचटी विभाग | |
| ईएचव्ही - उद्योग | ६.७८ |
| एचटी I - उद्योग | ८.४१ |
| ईएचव्ही- व्यावसायिक | ७.२० |
| एचटी II - व्यावसायिक | ८.८९ |
| एचटी III - समूह गृहनिर्माण संस्था (निवासी) | ९.०१ |

| | |
|---|-------------|
| एचटी IV: एचटी - मोनो/मेट्रो/रेल्वे | |
| एचटी IV - रेल्वे (२२/३३ केव्ही) | ८.६८ |
| ईएचव्ही IV - रेल्वे (मेट्रो व मोनोरेल) | ७.६१ |
| एचटी V - सार्वजनिक सेवा | |
| a) शासकीय शैक्षणिक संस्था व रुग्णालये | ८.४३ |
| b) इतर | ८.३५ |
| ईएचव्ही - सार्वजनिक सेवा इतर | ९.७५ |
| एचटी VIII - विद्युत वाहन चार्जिंग स्टेशन्स | ८.५१ |
| एचटी उप-एकूण | ७.९३ |
| एलटी विभाग | |
| एलटी I (A) - निवासी (बीपीएल) | - |
| एलटी I (B) - निवासी | ७.८६ |
| - एस१ (०-१०० युनिट्स) | ५.८८ |
| - एस२ (१०१-३०० युनिट्स) | ८.४३ |
| - एस३ (> ३०१-५०० युनिट्स) | ९.९१ |
| - एस४ (५०० युनिट्सपेक्षा जास्त (शिल्लक युनिट्स) | ९.९१ |
| एलटी II - व्यावसायिक | ९.५८ |
| (A) - २० केडब्ल्यूपर्यंत | ८.७६ |
| (B) - २० केडब्ल्यूपेक्षा कमी आणि ५० केडब्ल्यूपेक्षा कमी | ९.९१ |
| (C) - ५० केडब्ल्यूपेक्षा जास्त | ९.९१ |
| एलटी III (A) - उद्योग २० केडब्ल्यूपेक्षा कमी | ८.१० |
| एलटी III (B) - उद्योग २० केडब्ल्यूपेक्षा जास्त | ९.५२ |

| | |
|---|------|
| एलटी IV - सार्वजनिक सेवा | ८.७४ |
| a) शासकीय शैक्षणिक संस्था व रूग्णालये | ८.३९ |
| b) इतर | ८.७९ |
| एलटी V - विद्युत वाहन चार्जिंग स्टेशन्स | ८.१९ |
| एलटी उप-एकूण | ८.४८ |
| एकूण | ८.२३ |